

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी, 2010

क्र. एफ-1-2-06-नौ.—दिनांक 28 फरवरी 2006 को प्रकाशित मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करते हैं:—

## संशोधन

1. उक्त नियम के प्रथम पृष्ठ के प्रथम भाग में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री (मानद खेल स्वयं सेवक) जोड़ा जावे.
2. उक्त नियम के नियम 1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री जोड़ा जावे.
3. उक्त नियम के नियम 2 परिभाषाएं के खण्ड (ग) में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री जोड़ा जावे.
4. उक्त नियम के नियम 3 विस्तार तथा लागू होना में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री जोड़ा जावे.
5. उक्त नियम के नियम 5 वर्गीकरण तथा संविदा पारिश्रमिक में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री जोड़ा जावे.
6. उक्त नियम के नियम 6 चयन तथा नियोजन की पद्धति में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री जोड़ा जावे.
7. उक्त नियम के नियम 6(8), (10), (11), एवं (12) में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीड़ाश्री जोड़ा जावे.
8. उक्त नियम के नियम 7 चयन का मापदण्ड में बिन्दु 4 के पश्चात् निम्नवत् अंश जोड़ा जावे—

## क्रीड़ाश्री

(5) हायर सेकेण्ड्री (10+ 2) उत्तीर्ण

प्रथम— 15 अंक  
द्वितीय— 10 अंक  
तृतीय— 05 अंक

- |      |   |           |        |
|------|---|-----------|--------|
| (6)  | स्नातक उत्तीर्ण   | प्रथम—    | 25 अंक |
|      |   | द्वितीय—  | 20 अंक |
|      |   | तृतीय—    | 15 अंक |
| (7)  | शालेय/अर्न्तविश्वविद्यालय/ओपन/ग्रामीण खेलकूद/ महिला खेलकूद की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में   | स्वर्ण—   | 25 अंक |
|      |   | रजत—      | 20 अंक |
|      |   | कांस्य—   | 15 अंक |
|      |   | सहभागिता— | 10 अंक |
| (8)  | शालेय/अर्न्तविश्वविद्यालय/ओपन/ग्रामीण खेलकूद/महिला खेलकूद की राज्य प्रतियोगिताओं में  | स्वर्ण—   | 35 अंक |
|      |   | रजत—      | 30 अंक |
|      |   | कांस्य—   | 25 अंक |
|      |   | सहभागिता— | 20 अंक |
| (9)  | शालेय/अर्न्तविश्वविद्यालय/ओपन/ग्रामीण खेलकूद/ महिला खेलकूद की जिला प्रतियोगिताओं में  | स्वर्ण—   | 20 अंक |
|      |   | रजत—      | 15 अंक |
|      |   | कांस्य—   | 10 अंक |
|      |   | सहभागिता— | 05 अंक |
| (10) | ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अथवा स्वरोजगार  | बोनस—     | 10 अंक |
| (11) | ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों के साथ कार्य करने की अच्छी अभिरुचि   | बोनस—     | 10 अंक |
| (12) | भूतपूर्व सैनिक जो खिलाड़ी रहा हो  | बोनस—     | 10 अंक |
| (13) | संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत जिसमें के निवासी को  | बोनस—     | 15 अंक |
| (14) | ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शासकीय/अर्द्धशासकीय विद्यालयों का शारीरिक शिक्षक एवं खेल अध्यापक को प्रशिक्षण अनुभव के लिये अधिकतम 10 अंक प्रदान किये जावेंगे. एक वर्ष तथा दो वर्ष के अनुभव के लिये क्रमशः 5, 10 अंक प्रदान किये जावेंगे. |           |        |
9. उक्त नियम के नियम 8,10 एवं 12 में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीडाश्री जोड़ा जावे.
10. उक्त नियम के नियम 13 में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक की कर्तव्य तालिका यथावत रखते हुए क्रीडाश्री की कर्तव्य तालिका निम्नवत् जोड़ी जावे:—
1. संबंधित खेल मैदानों का विधिवत् संधारण एवं उन्नयन.
  2. पायका केन्द्र पर खेल गतिविधियों में खिलाड़ियों को नियमित भाग लेने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना.
  3. खिलाड़ियों को सामान्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराना.
  4. खेल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
  5. केन्द्र के विकास के लिये पर्यवेक्षण करना.
  6. पायका कक्ष एवं जनपद पंचायत स्तरीय संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना.
  7. विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता.
11. उक्त नियम के नियम 14 (5) में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीडाश्री जोड़ा जावे.

12. उक्त नियम की अनुसूची—एक में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीडाश्री जोड़ा जावे तथा अनुसूची में क्रमांक-1 के पश्चात् 2 एवं 3 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जावे:—
2. क्रीडाश्री (पंचायत स्तर) रु. 500/- मासिक तदैव
3. क्रीडाश्री (जनपद पंचायत स्तर) रु. 1000/- मासिक तदैव
13. अनुसूची—दो में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीडाश्री जोड़ा जावे तथा क्रमांक 1 के पश्चात् क्रमांक 2 पद कालम क्र. 1 से 6 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	संविदा क्रीडाश्री	18 वर्ष	40 वर्ष (अजा/अजजा/अपिव/ खिलाडी/भूपूसे के लिये 45 वर्ष).	अनिवार्य अर्हताएं— 1. न्यूनतम हायर सेकेण्ड्री (10+2) 2. स्नातक को प्राथमिकता 3. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अथवा स्वरोजगार करता हो. 4. ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के साथ कार्य करने की अच्छी अभिरूचि रखता हो. वांछनीय अर्हताएं— 1. जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर्ता खिलाडी. 2. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय/अर्द्ध- शासकीय विद्यालयों का शारीरिक शिक्षक एवं खेल अध्यापक. 3. भूतपूर्व सैनिक जो खिलाडी रहा है.	-तदैव-

15. उक्त नियम के परिशिष्ट संविदा का प्रारूप में संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक के पश्चात् क्रीडाश्री जोड़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद प्रधान, उपसचिव.